



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फ़ैक्स : 07682-244442

E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

mcbu.academic@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/660/2021

छतरपुर दिनांक 9/4/21

अधिसूचना

महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०) को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (Xii) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) के अंतर्गत सम्बद्धता/निरंतरता प्रदान की गई है।

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निरंतरता शुल्क जमा करने के फलस्वरूप परिनियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत सत्र 2021-22 के लिए महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०) को पाठ्यक्रम बी.एड. की निरंतरता सशर्त प्रदान की जाती है।

क्र०	पाठ्यक्रम का नाम	रिमांक
01	बी.एड.	निरंतरता

शर्त :-

- (1) महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों का पालन करना होगा।
- (2) महाविद्यालय को कॉलेज कोड 28 के तहत चयनित प्राचार्य/शिक्षकों के नियुक्ति पत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को तत्काल प्रस्तुत करना होगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद में लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा आंकस्मिक रूप से महाविद्यालय का निरीक्षण कराने पर कमी पाये जाने पर सम्बद्धता/निरंतरता समाप्त कर सकती है।

आदेशानुसार

[Signature]
कुलसचिव

पृ०क्रमांक/अकादमिक/निरंतरता/660/2021

प्रतिलिपि:-

छतरपुर दिनांक 9/4/21

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन भोपाल (म०प्र०)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग सागर संभाग सागर (म०प्र०)
3. प्राचार्य शासकीय अग्रणी महाविद्यालय छतरपुर जिला छतरपुर (म०प्र०)
4. प्राचार्य महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर (म०प्र०)
6. उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि० वि० छतरपुर (म०प्र०)
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर वि०वि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. मूल नस्ती हेतु।

[Signature]
कुलसचिव 9/4/21

L.Nir.2021-22/sparsh/100000024



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फैक्स : 07682-244442
E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/१८१/2021

छतरपुर, दिनांक 24/06/21

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (XII) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) तथा परिनियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17.06.2021 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कुलपति जी द्वारा सत्र 2021-22 के लिए महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की सशर्त द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता/प्रथम वर्ष की निरंतरता प्रदान की जाती है।

क्र	महाविद्यालय का नाम/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	रिमार्क
01	महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर	बी०एल०एड०	द्वितीय वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता / प्रथम वर्ष की निरंतरता

शर्त :-

1. महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन करना होगा।
2. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इंडोमेन्ट फंड की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रमाण 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

आदेशानुसार

[Signature]
कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक 24/06/21

पृ०क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/१८१/2021

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सागर, संभाग, सागर (म०प्र०)
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)
4. प्राचार्य, महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
6. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. मूल नस्ती हेतु।

[Signature]
कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

E.M.-11,

2020-21